Justice Mahesh Chandra Sharma
Chairperson
(Former Judge Rajasthan High Court)
(Former Addl. Advocate General for State of Rajasthan)

सत्यमेव जयते

Rajasthan State Human Rights Commission
S.S.O. Building Secretariate, Jaipur
Phone: 0141-2227339
Fax ; 0141-2227738

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

10 दिसम्बर 2019 को "अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस" के उपलक्ष में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष, जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा का उद्‌बोधन

प्राचीन भारतीय विधिक प्रणाली, जो विश्व की सबसे प्राचीन विधिक प्रणाली है, में मानव अधिकारों की संकल्पना नहीं थी, केवल कर्तव्यों को ही अधिकथित किया गया था। यहां के विधि शास्त्रियों की मान्यता थी कि यदि सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें तो सभी के अधिकार संरक्षित रहेगें। प्राचीन भारत के धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों की विशाल संख्या में लोगों के कर्तव्यों का ही उल्लेख है। धर्म एक ऐसा शब्द है, जिसका अर्थ बहुत ही विस्तृत है, किन्तु उसका एक अर्थ कर्तव्य भी है। इस प्रकार सारे धर्मशास्त्र धर्मसंहिताएँ है, अर्थात कर्तव्य संहिताएँ है। यहां मानव अधिकार के दावे का, अन्तिम विश्लेषण में यह अर्थ होगा कि ऐसा कार्य जो किसी अन्य के अहित के अनुरूप न होगा।

अपने वर्तमान रूप में मानव अधिकार की संकल्पना गत शताब्दी में विकसित हुई है और जब समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन गई है। सम्प्रति मानव अधिकार भारी अन्तर्राष्ट्रीय दिलचस्पी के विषय हो गये है। मानव अधिकारों के निरूपण और संरक्षण की वर्तमान चिंता दो विश्वयुद्धों में उनके घोर अतिक्रमण का परिणाम है। विश्व समुदाय द्वारा यह अनुभव किया गया कि मात्र राष्ट्रीय सरकारों से मानव अधिकारों के संरक्षण की आशा करना यथार्थ नहीं रही और यह भी अनुभव किया गया कि मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को भी कदम उठाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए इसे एक आवश्यक शर्त माना गया। जिसमें मानव जाति में अंतनिर्हित गरिमा, समानता तथा अभेद्य अधिकार विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति के आधार है।

मानव अधिकार विश्व भर में मान्य व्यक्तियों के वे अधिकार है जो उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यामिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। इन अधिकारों का उद्‌भव मानव की अन्तर्निहित गरिमा से हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1950 में 10, दिसम्बर के दिन को

M.C. Sharma

" Neelkanth", 62, Neelkanth Colony, (Behind Old Chungi Chowki) Ajmer Road, Jaipur-302021
Tel : 0141-2359326 (R) 0141-2227339 (0) 9414006400 (M)

Justice Mahesh Chandra Sharma
Chairperson
(Former Judge Rajasthan High Court)
(Former Addl. Advocate General for State of Rajasthan)

सत्यमेव जयते

Rajasthan State Human Rights Commission
S.S.O. Building Secretariate, Jaipur
Phone: 0141-2227339
Fax ; 0141-2227738

"अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस" घोषित किया गया था। जिसका उद्वेश्य सम्पूर्ण विश्व के लोगों का ध्यान मानवाधिकारों की ओर आकर्षित करना था। साल 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको अपनाया लेकिन अधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा साल 1950 में हुई। इस उद्घोषणा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान जागृत करेगा और इन अधिकारों की विश्वव्यापी एवं प्रभावी मान्यता और उनके पालन को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

भारत में मानव अधिकार कानून 28 सितम्बर 1993 में अमल में आया। जिसके बाद भारत सरकार ने 12 अक्टूम्बर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा एवं गरिमा से जुड़े हुए है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन वर्ष 2000 में किया गया।

मानव अधिकार, एक मानव होने के नाते प्राप्त होने वाले वे मौलिक अधिकार है, जो मां के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यन्त उसे प्राप्त रहते है एवं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या प्रताड़ित नही किया जा सकता है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का यह प्रयास रहा है कि मानव हित एवं मानव अधिकारों से जुड़े प्रकरणों में विस्तृत अनुशंषा राज्य सरकार को प्रेषित की जाकर एक लोक कल्याणकारी राज्य में सभी के मानव अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जावें।

M.C. Sharma

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
9/12 अध्यक्ष

" Neelkanth", 62, Neelkanth Colony, (Behind Old Chungi Chowki) Ajmer Road, Jaipur-302021
Tel : 0141-2359326 (R) 0141-2227339 (0) 9414006400 (M)